



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/388

दिनांक: -26/06/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (9) कम्पनियों का नाम **मध्य प्रदेश** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8167164	U27310MP2022PTC060030	राहुल फोर्जिंग्स वर्क्स एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8441500	U24299MP2021PTC056204	बड़वानी ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8525698	U45400MP2018PTC046395	एचजीएमवाई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7875082	U93090MP2018PTC045398	360 आउटरीच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8585772	U74999MP2017PTC043003	अवीव रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8554980	U72200MP2016PTC035517	रेडनेसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8380780	U15412MP1999PTC013321	सत्या बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7856917	U51491MP2014PTC032499	मुंद्रा कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8353127	U85110MP2013PTC030046	यंग सर्जन्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्टार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्टार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्टार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्टार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र